77

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /18 अपील PBR/अपील/मंदसौर/भू.रा/2018/1505

प्रार्थी अभिभाषक श्री द्वारकाधीश चौधरी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 12-02-18
12/2/18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

श्रीमती लाड़कुंवर पति मंगेश गुप्ता, आयु–70 वर्ष,
धंधा कुछ नहीं, निवासी–12–बी, बैरागी नगर, मंदसौर
................................अपीलार्थी

– – विरूद्ध – –

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर, मंदसौर (म.प्र.)
................................प्रत्यर्थी

विषय – अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 61/विविध 16–17/ अपील में पारित आदेश दिनांक 28–12–2017 से असंतुष्ट होकर अपील धारा 44 (2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **PBR/अपील/मंदसौर/भू.रा./2018/1505**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया है कि अपीलार्थी की भूमि का उपयोग किसी शासकीय योजना के निर्माण में नहीं हुआ है और अपीलार्थी की भूमि का उपयोग शासन द्वारा किया जाना भी अपरिहार्य नहीं है । अत: शासन के ज्ञाप दिनांक 12-9-2011 के अनुसार अपीलार्थी की भूमि विनिमय की पात्रता नहीं आने से अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विनिमय का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि विधि अनुकूल है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	